रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 306] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 1987/ज्येष्ठ 22, 1909
No. 306] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 1987/JYAISTHA 22, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 1 जून, 1987

अधिसूचना

सा.का.नि. 566(अ) :—केन्द्रीय सरकार, बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 51) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बहु राज्य सहकारी सोसाइटी (रजिस्ट्रीकरण, सदस्यता, निदेश और प्रबंध, विवादों का निपटारा, अपील और पुनरीक्षण) नियम, 1985 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम बहु राज्य सहकारी सोसाइटी (रजिस्ट्रीकरण, सदस्यता, निदेश और प्रबंध, विवादों का निपटारा, अपील और पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1987 है।

2. बहु राज्य सहकारी सोसाइटी (रजिस्ट्रीकरण, सदस्यता, निदेश और प्रबंध, विवादों का निपटारा, अपील और पुनरीक्षण) नियम, 1985 के नियम 37 में,—

(क) खंड (क) में, "सचिव" शब्द के स्थान पर "अपर सचिव" शब्द रखे जायेंगे;

(ख) खंड (ख) में,—

(1) "रजिस्ट्रार की पंक्ति" शब्दों के पूर्व "सहकारी सोसाइटियों के" शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे;

(2) "अपर सचिव" शब्दों के स्थान पर "संयुक्त सचिव" शब्द रखे जायेंगे।

[सं. एस-11012/1/87-एल एण्ड एम]

एस. सोम, संयुक्त सचिव, भारत सरकार और सहकारी सोसाइटियों का केन्द्रीय रजिस्ट्रार

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 1st June, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 566(E).—In exercise of the powers conferred by section 109 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 1984 (51 of 1984), the Central Government hereby makes the rules to amend the Multi-State Co-operative Societies (Registration, Membership, Direction and Management, Settlement of Disputes, Appeal and Revision) Rules, 1985, as follows, namely :—

1. These rules may be called the Multi-State Co-operative Societies (Registration, Membership, Direction and Management, Settlement of Disputes, Appeal and Revision) Amendment Rules, 1987.

2. In rule 37 of the Multi State Co-operative Societies (Registration, Membership, Direction and Management, Settlement of Disputes, Appeal and Revision) Rules, 1985,—

(a) in clause (a), for the words "the Secretary", the words "the Additional Secretary" shall be substituted;

(b) in clause (b),—

(i) after the words "of the rank of Registrar", the words "of Co-operative Societies" shall be inserted;

(ii) for the words "the Additional Secretary", the words "the Joint Secretary" shall be substituted.

[No. L. 11012/1/87-L&M]

S. SOM, Jt. Secy. to the Govt. of India
and Central Registrar of Co-operative Societies

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987